# चित्रकूट-पुलिस

**(1).** नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 20.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

**(2).** आज दिनाँक 20.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

**(3).** आज दिनाँक 20.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया । परेड निरीक्षण के दौरान अधि0/कर्मचारीगण का टर्न आउट चेक किया गया तथा परेड ग्राउण्ड में उपस्थित सभी टोलियों की ड्रिल देखी गयी एवं आवश्यक सुधार हेतु प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया। परेड ग्राउंड में आर्मोरर द्वारा शस्त्रों का खोलने जोड़ने व हैन्डलिंग की जानकारी दी गयी। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा PRV- 2048 में नियुक्त कमांडर-मुख्य आरक्षी वीरेंद्र कुमार व पायलट मुख्य आरक्षी सुरेंद्र द्विवेदी को इवेन्ट नम्बर 42524 पर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अज्ञात लोग नीलगाय को मार रहे हैं । इस पर पीआरवी घटनास्थल पर नहीं पहुंच पा रही थी तो कमांडर ने करीब 02 किमी पैदल जंगल में जाकर देखा तो अज्ञात प्रतिवादी मौके से भाग गए थे मौके पर कोई नहीं मिला है । PRV 2048 की इस त्वरित और सक्रिय कार्यवाही से वन्यजीव नीलगाय की सुरक्षा करते हुए संभावित्व घटना से बचाया गया एवं PRV 2033 को सूचना प्राप्त हुई कि बनकट मोड़ से लगभग 15 कदम आगे मैदान में एक 12 वर्षीय बालक साइकिल के साथ जमीन में बेहोश पड़ा है । इस सूचना पर PRV 2033 के कमाण्डर अखिलेन्द्र प्रताप सिंह, आरक्षी चालक इजहार अहमद एवं होम गार्ड तुलसीदास द्वारा मौके पर पहुंचकर अपनी PRV से अस्पताल लेकर पहुंचे 04 घंटे बाद बेहोश बालक को होश आने पर अपना नाम पता बताया इस पर बालक को ले जाकर माँ को सुपुर्द किया गया । इस प्रकार तत्वरित कार्यवाही करते हुए बेहोश बालक के जान की रक्षा की गयी ।

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा जाकर थानों से आयी समस्त चार पहिया वाहनों, 112 पीआरवी वाहनों तथा परिवहन शाखा में रखे वाहनों का निरीक्षण कर प्रभारी परिवहन शाखा को मरम्मत हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। पुलिस लाइन्स परिसर का भ्रमण कर आरक्षी बैरिक, सीपीसी कैंटीन, भोजनालय का निरीक्षण किया गया। क्वार्टर गार्द का निरीक्षण कर सलामी ली गयी साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेश-कक्ष में जाकर पुलिस कर्मियों का अर्दली रुम किया गया ।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी कार्यालय/लाइन्स श्री अरविन्द कुमार मौर्या, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

**(4).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में अपराध निरीक्षक श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1. केशरी नन्दन द्विवेदी पुत्र कुल कमल द्विवेदी निवासी ग्राम दामपुर थाना धाता जनपद फतेहपुर 2. मनोज निषाद पुत्र सियाराम निषाद निवासी सैतपुर थाना धाता जिला फतेहपुर 3. धर्मेन्द्र मिश्रा पुत्र मोहित मिश्रा निवासी कस्बा व थाना राजापुर जिला चित्रकूट 4. मनोज पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी गोविन्दपुर थाना सिराथू जनपद कौशाम्बी 5. विश्वकान्त चतुर्वेदी पुत्र ओमकारनाथ निवासी तुलसी मन्दिर कस्बा व थाना राजापुर जिला चित्रकूट 6. कामता पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी कस्बा व थाना राजापुर जिला चित्रकूट 7. रीतेश पाण्डेय पुत्र राजकिशोर निवासी कस्बा व थाना राजापुर जिला चित्रकूट 8. नीतेश पुत्र रामेश्वर निवासी कस्बा व थाना राजापुर जिला चित्रकूट 9. सतीश चन्द्र त्रिपाठी पुत्र राममूरत त्रिपाठी निवासी कस्बा व थाना राजापुर जिला चित्रकूट 10. राजेश पुत्र देवकरन सिंह निवासी बेनीपुर थाना धाता जनपद फतेहपुर को ताश के पत्तों में हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 1,39,000/- रुपये व 04 अदद ताश की गड्डी प्रति गड्डी 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामा तलाशी से 8400/- रुपये व 02 अदद बुलेरो गाड़ी वाहन संख्या UP 70 ER 4763 व UP 15 CY 7195 बरामद किया गया । वाहन उपरोक्त को चालानी रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 207 MV Act के दाखिल किया गया । अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

**बरामदगी-**

1.मालफड़ 1,39,000/- रुपये
2.जामा तलाशी से 8400/- रुपये
3. 04 अदद ताश की गड्डी प्रति गड्डी 52 अदद ताश के पत्ते
4. 02 अदद बुलेरो गाड़ी

**<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>**

1.अपराध निरीक्षक श्री प्रभुनाथ यादव थाना पहाड़ी
2. उ0नि0 श्री सुरेश प्रताप सिंह
3.आरक्षी दीपक सिंह
4. आरक्षी आनन्द प्रताप सिंह
5. महिला आरक्षी गुडिया
6. चालक का0 शरद सिंह
7. उ0नि0 सुरेश प्रताप सिंह
8. आरक्षी दीपक श्रीवास्तव
9. आरक्षी विनोद कुमार
10. आरक्षी आशीष कुमार
11. चालक मुख्य आरक्षी कृष्ण पाल सिंह

**(5).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों से 45 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।
(1). उ0नि0 श्री अरमान आलम थाना पहाड़ी मय हमराह मुख्य आरक्षी सौरभ कुमार व आरक्षी आनन्द प्रताप सिंह द्वारा अभियुक्त राजेश उर्फ पत्तू पुत्र कलुवा निवासी परसौजा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 30 अदद क्वार्टर देशी शराब मस्तीहू के साथ गिरफ्तार किया गया ।
(2). उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय थाना सरधुवा मय हमराह आरक्षी महेन्द्र कुमार द्वारा अभियुक्त देवकुमार यादव पुत्र संतोष कुमार यादव निवासी ग्राम हकीमपुर मजरा सरधुवा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 15 अदद देशी शराब पाउच के साथ गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 60 आबाकरी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

**(6).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अंशुल कुमार मय हमराह संजीव सोनी द्वारा मु0न0 443/19 धारा 138 एनआई एक्ट के वारंटी अभियुक्त सोनू बौरिया पुत्र स्व0 इन्द्रपाल उर्फ कल्लू पासी निवासी भरतपुरी पासी तिराहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

**(7).** जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में एवं पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अमृत पाल कौर की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य/कानूनी सहायता/विधि

सहायता/ सामाजिक सशक्तिकरण से संबंधित सत्र एवं जागरूता कार्यशाला का आयोजन ऑडिटोरियम भवन सोनपुर में द्वीप प्रचलित कर प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला अधिकारी ने कहां की यह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्राथमिकता में रहता है उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति में महिलाओं को कानूनी सहायता, सामाजिक सशक्तिकरण व मानसिक स्वास्थ्य यह तीन महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र महिलाओं को आगे बढ़ता है, उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में आशा एनम आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बुलाया गया है कि वह भी समझे कि बच्चा पैदा तो होता है लेकिन बच्चों का देखभाल स्वास्थ्य कैसे करें यह जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई गई है जो महिलाओं को सशक्त बनाएगी उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी एक बड़ा हथियार है जो छोटे शहर में रहकर बड़े-बड़े शहरों से कार्य किया जा सकता है उन्होंने कहा कि हमें इनका उपयोग करना चाहिए ना कि दुरुपयोग। जिलाधिकारी ने कहा कि चुप्पी तोड़ो कुछ तो बोलो के अंतर्गत जब तक आप लोग कोई समस्या नहीं बताएंगे तब तक हम लोग नहीं जान पाएंगे उन्होंने कहा कि माता-पिता व अध्यापक की बातों को माने उनकी बातों को इग्नोर न करें वे आप लोगों के भलाई के लिए बताएंगे। उपस्थित छात्राओं एवं महिलाओं से कहा कि समाज बेटियों को नहीं बढ़ने देना चाहते हैं आप लोग पढ़ाई कर आगे बढ़े समूह बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि बहुत सी महिलाएं खेती में कार्य कर रही हैं जो बड़ी-बड़ी फर्म कंपनियों को अपना एफपीओ के माध्यम से उत्पादन बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति भी एक प्लेटफार्म होता है महिलाएं प्रधान होती हैं लेकिन उनके प्रधान पति ही कार्य करते है ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोग स्वयं इस कार्य का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि आप लोगों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें आप लोग का महत्वपूर्ण योगदान जरूरी है जिससे कि आप लोग आगे बढ़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि गलत परंपराओं को हमें छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को मानसिकता से उबरना पड़ेगा उन्होंने कहा कि भूत पिचास एक मानसिक बीमारी होती है इससे आप लोग बचे। भारत सरकार की योजना है कि महिलाओं को फ्री में कानूनी सहायता दी जाती है आप लोग इसका लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए हैं आप लोग इसको समझे और सोचे कि हमें क्या करना चाहिए इस पर आप लोगों को आत्मसात करना चाहिए।
पुलिस अधीक्षक ने प्राचीन काल से महिलाओं की दशा का वर्णन करते हुए कहा कि 21वीं सदी में प्रवेश के बाद महिलाओं को सम्मान देने की बातें बताएं। उन्होंने कहा कि नारी को जो गौरव गाथा है उससे सभी लोग अवगत हैं, कहा कि इस मिशन के अंतर्गत सुरक्षा सम्मान होता है एवं सुरक्षा का समस्या होता है तो पुलिस का नाम आता है उन्होंने कहा कि जब आधी रात को आभूषणों से लदी महिला अकेली चली जाती है तब माना जाएगा कि महिला सुरक्षित है उन्होंने कहा कि बेटा बचा रहेगा तो बेटियां बची रहेगी कहा की बेटे संस्कारिक होंगे तो बेटियां सुरक्षित रहेगी। उन्होंने कहा कि बेटियों की मोबाइल को परिवार वाले चेक करते हैं तो उसी तरह बेटों के भी मोबाइल को परिवार चेक करें। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के बहुत से टोल फ्री नंबर है जो हर समय आपकी सहायता में काम करेंगे, कहा कि हर पुलिस थाना में महिला हेल्प डेस्क बना है जो अपनी शिकायत हो उन्हें बताएं। कहा कि परिवार से टूटने से पहले परिवार बन जाता है इसके लिए महिला परामर्श न्यायालय भी बनाए गए हैं, उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं संवेदनशीलता धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है कहा कि मिशन शक्ति में पुलिस विभाग के 10 अभियान चलाया जा रहा है यह महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल का उपयोग करें दुरूपयोग ना करें इसमें सतर्क रहने की जरूरत है उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बहुत से हेल्प लाइन है उसका उपयोग जरूरत पड़ने पर करें। कहा कि हमारा परिवार एक सेफ्टी वाल्व है इसलिए परिवार को बचाकर चले।

मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर ने उपस्थित छात्राओं एवं महिलाओं से कहा कि आप लोग अपनी गली मोहल्ले में लड़कियों को बताएं तो जागरूकता हो सकती है उन्होंने कहा कि इस मंच के माध्यम से जो आवाज होती है

उठाए, आप लोगों का अधिकार है महिलाएं उत्पीड़न से बचने के लिए हमें जो अधिकार दिए गए हैं उसका उपयोग करें उन्होंने कहा कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कर आगे बढ़े अपनी लाइफ को अपनी तरह से जिए उन्होंने कहा कि आप लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़े एवं अपनी गार्जियन का भी नाम रोशन करें।
पूर्णकालिक सचिव/ विधिक सेवा प्राधिकरण श्री नीलू मेनवाल ने उपस्थित छात्राओं से कहा कि संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आप लोग बोल सकते हैं उन्होंने कहा कि अपने कार्य स्थल पर विशेष अधिनियम भी बनाए गए हैं किसी भी लिंग जाति धर्म पर विभेद नहीं होगा महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाया गया है कहां की वंचित लोगों के लिए संविधान में कानूनी सेवा 39- ए में किया गया है आप लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़े कोई भी समस्या है न्यायालय में एवं पुलिस हेल्प डेस्क सेंटर पर अपनी समस्या बता सकते हैं। इस अवसर पर पुलिस आरक्षी पल्लवी देवी ने सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के सम्मान में चलाए जा रहे 112,1076,108,1098,1930 सेवा के बारे में बताया कि इन नंबरों पर आप लोग पर हेल्प ले सकती हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय शिवरामपुर की राधा पांडे ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में बताया। स्वयं सहायता समूह की सविता देवी ने भी महिलाओं के सुरक्षा एवं सम्मान के बारे में बताएं।
इस अवसर पर यूपी बोर्ड द्वारा हाई स्कूल में प्रथम दीपा देवी, द्वितीय राखी देवी, तृतीय मुस्कान देवी एवं इंटरमीडिएट में प्रथम काव्य रघुवंशी, द्वितीय पूजा देवी, तृतीय प्रियंका देवी एवं सीबीएसई बोर्ड से हाई स्कूल अनन्या सिंह प्रथम, नव्या केसरवानी द्वितीय, उन्नति पांडे तृतीया इंटरमीडिएट से शालिनी वर्मा प्रथम, आदिति गुप्ता द्वितीय, स्नेहा यादव तृतीय को क्रमशः 3 हजार 2 हजार एवं ₹1 हजार देकर सम्मानित भी किया गया । इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेश द्विवेदी, उप जिलाधिकारी कर्वी सुश्री पूजा साहू, जिला पंचायत राज अधिकारी श्री इंद्र नारायण सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीके शर्मा, जिला पूर्ति अधिकारी श्री आनंद सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री पंकज मिश्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री पीडी विश्वकर्मा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

**(8).** श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह एवं पैरोकार आरक्षी विजय कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर सुश्री खुशबू चन्द्रा द्वारा थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 17/22 धारा 279,337,338,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त सावंत सिंह पुत्र देवनारायण सिंह निवासी ग्राम खाईपार अलीगंज थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

**(9).** श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 38/2022 धारा 498ए,304(B),323 भादवि0 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त 1. शिवदयाल 2. रामदयाल पुत्रगण दशरथ निवासी अहिरनपुर

दबवा मजरा खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 06 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 04.02.2022 को वादी हनुमान प्रसाद पुत्र सिद्धगोपाल निवासी चनई मजरा तिलौली थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दिया गया कि आरोपीगण द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग करना व प्रताड़ित करना दहेज की मांग पुरी न होने पर पुत्री रेखा को जान से मारकर फांसी पर लटका देना जिसके सम्बन्ध में थाना मऊ में मु0अ0सं0 38/2022 धारा 498ए,304(B),323 भादवि0 व 3/4 द0प्र0 अधिनियम बनाम शिवदयाल व रामदयाल उपरोक्त थाना मऊ जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम द्वारा संपादित की गयी। विवेचक द्वारा अभियुक्त रामदयाल को दिनांक 07.02.22 व अभियुक्त शिवदयाल उपरोक्त को दिनांक 21.03.22 को गिरफ्तार कर दिनाँक 04.05.2022 को अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

**(10).** श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय,प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री विनोद कुमार शुक्ल एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं शासकीय अधिवक्ता श्रीमती संगीता सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश/एफटूसी न्यू श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 716/2017 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1. संजय रलिहा पुत्र केशव 2. लकी गुप्ता पुत्र लल्लू गुप्ता निवासीगण रौली कल्याणपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 04-04 वर्ष का कारावास 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**घटना का विवरण:-**

दिनाँक 16.07.2017 को तत्कालीन निरीक्षक श्री मनोज शुक्ला द्वारा आरोपी संजय रलिहा व आरोपी लकी गुप्ता उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 716/2017 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा की गयी, विवेचक द्वारा दिनाँक 28.08.2018 को आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

**(11).** श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज(जू0डि0) श्रीमती शैफाली यादव द्वारा आज दिनाँक 20.12.2024 को थाना कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0 747/2013 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त शिवसिंह पुत्र अवधबिहारी निवासी भीटाखेड़ा जनपद चित्रकूट को 2300/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

**(12).** मा0 न्यायालय सिविल जज (जूनि0/डिवी0)/जे0एम0 मऊ जनपद चित्रकूट के आदेश दिनाँक 13.12.2024 के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की निर्देशन में क्षेत्राधिकारी श्री यामीन अहमद, सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव,फौजदारी लिपिक श्री मणिकान्त, प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार राय, जिला आबकारी अधिकारी श्री अखिलेन्द्र बहादुर सिंह, आबकारी अधिकारी श्री राजेश कुमार यादव क्षेत्र मऊ एवं प्रधान लेखक नियान राईन की उपस्थित में थाना मऊ परिसर में जेसीबी मशीन द्वारा 241 मुकदमा आबकारी अधिनियम के पंचनामा माल समिति के समक्ष नष्ट कराकर जेसीबी मशीन चलाकर विनिष्टकरण कराया गया।

**(13).** आज दिनाँक 20.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु कर्वी शहर क्षेत्र के सर्राफा बाजार ,स्टेशन रोड,शंकर बाजार, एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त कर रोड पर दुकानदारों द्वारा किये गये तत्पश्चात महोदय द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया।

**(14).**आज दिनाँक 20.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा शराब की दुकान, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।